



स्वामी विवेकानंद और महिला सशक्तिकरण

अंजलि शर्मा

शोध छात्रा, हिंदी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

महिलाएं हमेशा से ही पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को संरक्षित रखने की एक महत्वपूर्ण आधारशिला थी, हैं और हमेशा रहेंगी। किन्तु आज भी हमारे राष्ट्र एवं समाज में महिलाओं की स्थिति जितनी सशक्त और प्रभावशाली होनी चाहिए वह अभी भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई हैं, आज भी उनकी स्थिति पुरुषों की तुलना में निम्नतर बनी हुई हैं। भारतीय संविधान जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं फिर भी उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। आज भले ही हम 21 वीं सदी में पहुंच गए हो लेकिन स्त्रियों के प्रति हमारी मानसिकता हजारों साल पुरानी ही बनी हुई है। इस शोध आलेख में स्वामी विवेकानंद के महिलाओं से संबंधित विचारों को प्रस्तुत किया गया है। विवेकानंद का मानना है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर हैं, महिलाओं की स्थिति। हमें महिलाओं को ऐसी स्थिति में पहुंचा देने चाहिए, जहां वह अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सकें। हमें महिला शक्ति के उद्धारक नहीं, वरन् उनके सेवक और सहायक बनाना चाहिए।

मूल शब्द: स्वामी विवेकानंद, महिला सशक्तिकरण

प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण का अर्थ

“सशक्तिकरण” का शाब्दिक अर्थ शक्ति या सत्ताधिकार संपन्न बनाना है। स्त्रियों को अधिकार संपन्न बनाना, उन्हें सत्ताधिकार देने का काम ही ‘महिला सशक्तिकरण’ है। महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में महिला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी में की गई थी। महिला सशक्तिकरण का मुख्य ध्येय महिलाओं को उन साधन संसाधनों तथा सत्ता तक पहुंचाना जिन पर उनका मानवीय रूप से अधिकार है। उन्हें उन कुरीतियों और सामाजिक जड़ बंधन से मुक्ति पाने हेतु सामर्थ्यवान बनाना जिनके चलते उनका स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हुआ है, जिसके चलते उनका मनवोचित सम्मान व गौरव दमित हुआ है तथा उनकी भावनाओं व आकांक्षाओं से खिलवाड़ हुआ है।

भारत में कुल आबादी लगभग 130 मिलियन है और भारत में लिंगानुपात 52: पुरुषों और 48: महिलाओं का है। भारत में केवल 65: महिलाएं साक्षर हैं। भारत में लगभग 35: महिलाएं निरक्षर हैं और इतनी बड़ी संख्या में निरक्षरता देश के विकास के लिए बड़ी बाधा के रूप में कार्य करती है। ऐसे कई कारण हैं जो भारत में महिलाओं की दबी हुई स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं जैसे कि जाति व्यवस्था, गरीबी, लिंग भेदभाव, पारंपरिक मान्यताएं आदि। भारत के इतिहास में इस बात के बहुत से प्रमाण हैं कि महिलाओं को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। और उनकी स्थिति वर्तमान परिदृश्य की तुलना में कहीं बेहतर थी। विभिन्न राजवंशों के शासन में, महिलाओं की स्थिति बिगड़ती गई और धीरे-धीरे समाज में महिलाओं की स्थिति इस स्तर पर पहुंच गई कि इसे समाज में सबसे खराब माना जा सकता है।

वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान ही सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, व्यक्तिगत अधिकार दिए गए थे। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान, समाज अधिक समृद्ध था और लोग किसी भी अन्य काल की तुलना में समृद्ध जीवन जी रहे थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे-धीरे स्थिति बदलने लगी और महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी। लिंग भेद उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता था। उत्तर वैदिक काल के दौरान समाज में विभिन्न कुप्रथाओं और विश्वासों ने जोर पकड़ लिया। महिलाओं की स्वतंत्रता को जब्त कर लिया गया, महिलाओं के विभिन्न अधिकार छीन लिए गए और महिलाओं पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए। महिलाओं को कोई धार्मिक और सामाजिक अधिकार नहीं दिए गए थे और वे किसी भी प्रकार की सार्वजनिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकती थीं। महिलाओं की स्थिति और अधिक बिगड़ती गई क्योंकि समाज में कई बुरी प्रथाओं जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह का निषेध आदि कुप्रथाओं ने जोड़ पकड़ ली। इन कुप्रथाओं ने भारतीय महिलाओं को संकीर्ण मानसिकता में बांध दिया।

मध्यकाल में मुस्लिम शासकों के आगमन के साथ भारतीय महिलाओं की स्थिति और भी खराब हो गई। दिल्ली सल्तनत और मुगलों जैसे मजबूत मुस्लिम राजवंशों ने लगभग 600 वर्षों तक भारत पर शासन किया और इस दौरान उन्होंने समाज पर जितना संभव हो सके इस्लामी नियमों और विनियमों को लागू करने का प्रयास किया। इस्लाम के सन्दर्भ में महिलाओं को पुरुषों से कमतर माना जाता था और यह मानसिकता सल्तनत और मुगल शासन के दौरान भारतीय समाज में दिखाई देती थी। इस समयावधि को भारतीय समाज में “अंधेर युग” के रूप में भी जाना जाता है, जहां महिलाओं को किसी और काल की तुलना में सबसे अधिक दबाया जाता था।

भारतीय समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए कई दार्शनिक, विचारक, सामाजिक क्रांतिकारी अपने विचारों के साथ सामने आए, जिनमें राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, बाबा साहेब अम्बेडकर, दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी प्रमुख हैं। उन्होंने महसूस किया कि महिलाएं समाज के विकास के लिए पुरुषों की तरह ही

महत्वपूर्ण हैं और उन्होंने इस संदेश को लोगों के बीच फैलाने की कोशिश की। महिला सशक्तिकरण के लिए पहला उल्लेखनीय कदम तब उठाया गया जब राजा राम मोहन ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम आगे बढ़ाया। 1829 में राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर विलियम बेंटिक को सती प्रथा को अवैध घोषित करने और प्रतिबंध लगाने के लिए राजी किया। इसे भारत में महिला सशक्तिकरण के शुरुआती बिंदु के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। बाद में, 1856 में जब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, तो इसे भारतीय महिला सशक्तिकरण में एक और महत्वपूर्ण मानदंड माना जा सकता है। तत्पश्चात समाज में महिलाओं के उत्थान और भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई प्रयास किए गए।

महिला सशक्तिकरण और स्वामी विवेकानंद

महिला सशक्तिकरण के प्रति स्वामी विवेकानंद का योगदान उल्लेखनीय है उन्होंने अपने सभी कार्यों और विचारों में महिला सशक्तिकरण का विशेष संदर्भ दिया। महिला सशक्तिकरण पर विवेकानंद के विचार 21वीं सदी में भी प्रासंगिक हैं। महिलाओं को वेदों का जाप करने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उन्हें मासिक धर्म के कारण अशुद्ध और प्रदूषित माना जाता है। विवेकानंद ने इसका विरोध किया और उन्होंने स्वयं विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन महिलाओं द्वारा करवाकर एक उदाहरण स्थापित किया। विवेकानंद ने भी बाल विवाह का विरोध किया और लड़की की शिक्षा और स्वाभिमान पर जोर देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि "बाल विवाह से असामयिक सत्तानोत्पत्ति होती है और अल्पायु में संतान धारण करने के कारण हमारी स्त्रियाँ अल्पायु होती हैं, उनकी दुर्बल और रोगी संतानें देश में भिखाड़ियों एवं अपराधियों की संख्या बढ़ाने का कारण बनती है।" महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्रता दी जानी चाहिए तभी वह पूर्ण रूप से विकसित हो सकती है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दे सकती है। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों ने बहुत विकास किया है। उनके विकसित होने का एक प्रमुख कारण महिलाओं का सशक्तिकरण है। विश्व में लैंगिक समानता के उद्देश्य से बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए। जिसमें सबसे प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संगठन हैं। इसमें दुनिया के 207 देशों में से लगभग 193 देशों ने सदस्यता ली है। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने प्रत्येक सदस्य के लिए लैंगिक समानता की नीति का पालन करना अनिवार्य कर दिया। दुनिया में जिन जगहों पर महिलाओं को सशक्त बनाया गया है और उन्हें समान अवसर प्रदान किए गए हैं, वे स्थान अन्य जगहों की तुलना में काफी बेहतर प्रगति कर रहे हैं। भारत ने भी महिला सशक्तिकरण के महत्व को महसूस किया और धीरे-धीरे भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम लेकर आया।

महिलाओं के विवाह के संबंध में, विवेकानंद ने बाल विवाह का विरोध किया और कहा कि शादी से पहले लड़की का शारीरिक और बौद्धिक विकास अनिवार्य है भारत में बाल विवाह का अनुपात विश्व के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की जनगणना रिपोर्ट 2016 के अनुसार, भारत में 47: लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। भारत में बाल विवाह की इतनी उच्च दर का एक मुख्य कारण गरीबी और पारंपरिक मान्यताएं हैं। हालांकि भारतीय संविधान कहता है कि लड़की की शादी करने की न्यूनतम उम्र 18 साल है, (जिसे अब 21 साल) लेकिन इसे भारत में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह अधिक प्रचलित हैं। बाल विवाह के मुद्दे से निपटने के लिए भारत सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ कुछ सख्त कानून बनाए। 2006 में, भारत सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम जारी किया गया था। कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करने की कोशिश करता है तो उसे 2 साल की कैद और कुछ जुर्माने की सजा भुगतनी होगी। हालांकि भारत में बाल विवाह का अनुपात धीरे-धीरे कम हो रहा है लेकिन मध्यम स्तर पर।

आजकल का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख मुद्दा जिसे महिला सशक्तिकरण का पहला कदम माना जा सकता है, वह है लड़कियों की शिक्षा। जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो लड़कियों की शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा की जाती है। वर्तमान समय में लड़कियों की शिक्षा को इतनी लोकप्रियता और महत्व मिला है कि दुनिया के लगभग हर समाज ने स्वीकार किया कि लड़कियों की शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी लड़कों की शिक्षा। 19वीं सदी के दौरान लड़कियों को लड़कों से हीन माना जाता था और लड़कियों के लिए शिक्षा आवश्यक नहीं थी। उस समय विवेकानंद ने बालिका शिक्षा के पक्ष में आवाज उठाई थी। वैदिक काल से ही भारतीय समाज चरम धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है। इस प्रकार विवेकानंद ने धार्मिक ग्रंथों का संदर्भ देकर भारतीय समाज को समझाने की कोशिश की, जहां लड़कियों की शिक्षा के महत्व का उल्लेख किया गया है। उनका कहना है कि "इस देश में स्त्रियों की निंदा ही की गई है, उनकी उन्नति के लिये कोई प्रयास नहीं किए गए। हमारी प्राचीन मान्यताओं में नारी को शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में समान अधिकार ही प्राप्त थे फलस्वरूप मैत्रयी और गार्गी जैसी विदुषी पैदा हुई। जब उनपर सार्वजनिक जीवन में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया तो समाज का भी पतन होने लगा। जहां पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वे दुखी रहती हैं, इसलीय उस परिवार और देश की उन्नति की आशा नहीं की जा सकती इसलीय उन्हें पहले उठाना होगा।"

यद्यपि विवेकानंद ने तार्किक रूप से समझाया कि लड़कियों को शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, यदि आप किसी को शेर नहीं बनने देंगे, तो वह लोमड़ी बन जाएगा। महिलाएं एक शक्ति हैं, केवल अब यह बुराई है कि पुरुष महिला पर अत्याचार करता है, इसलिए वह लोमड़ी है, लेकिन जब उस पर अत्याचार नहीं होगा, तो वह शेर होगी (If you do not allow one to become a lion, he will become a Fox. Women are a power, only now it is more evil because man oppresses women; she is the Fox, but when she is no longer oppressed] she will be the lion.) "

2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में 65: महिलाएं साक्षरता दर से ऊपर हैं। 1947 के दौरान यह केवल 7-8 प्रतिशत था। महिला सशक्तिकरण के अनुपात में इतना अधिक परिवर्तन प्राप्त करना भारत की एक बड़ी उपलब्धि है।

विवेकानंद ने महिलाओं के चरित्र निर्माण पर कुछ महत्वपूर्ण बात कही हैं। उन्होंने कहा, "हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए, जहां वे अपनी समस्या को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सकें। उनके लिए ये काम न कोई कर सकता है और न करना चाहिए।" पुरुष होने के नाते उन्होंने महिलाओं को इतनी बारीकी से समझा और बताया कि महिला के चरित्र में क्या होना चाहिए। विवेकानंद के अनुसार प्रत्येक स्त्री को सीता के पदचिह्नों पर चलकर सीता के व्यक्तित्व के

आधार पर अपने चरित्र का विकास करना चाहिए। वर्तमान समय में भी सीता को भारत की सबसे पवित्र महिला माना जाता है। विवेकानंद ने कहा कि चरित्र एक महिला की सबसे कीमती संपत्ति है और उसे हमेशा अपने चरित्र को नरम और प्रेमपूर्ण रखना चाहिए। वर्तमान समय की नारीवादी भी इस कथन से सहमत हैं और नारी की समृद्धि के लिए चरित्र को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति के प्रति वफादार रहे और पति अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहे। आजकल ज्यादातर शादियां पति-पत्नी के बीच वफादारी की कमी के कारण टूट जाती हैं। तलाक के संबंध में सैकड़ों से अधिक तलाक के मामले अखबारों में आते हैं जो कि बेवफाई के कारण होता है। विवेकानंद की सभी विचारधाराएं वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिक हैं। यद्यपि उन्होंने अपने विचारों का निर्माण भारतीय समाज का अनुभव करके किया गया था लेकिन उनके अधिकांश दर्शन भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लागू हो सकते हैं। विवेकानंद की विचारधारा और महिला सशक्तिकरण पर उनके विचारों पर आयोजित कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में बड़ी चिंता के साथ चर्चा हुई। कई प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय नारीवादियों ने महिला सशक्तिकरण पर विवेकानंद के दर्शन की सराहना की। इसलीय पश्चिम को स्वामीजी की देन का उल्लेख करती हुई सिस्टर निबेदिता ने लिखा है "इस देश में बहुतों को स्वामी विवेकानंद के उपदेश प्यासे को शीतल जल के समान तृप्तिदायक लगे हैं। ईसाई धर्म के कट्टरतापूर्ण सिद्धांतों में विश्वास करना अब हमारे लिए असंभव सा हो गया है। वेदान्त ने हमारे धर्म के विश्वासों और आवेगों को एक दार्शनिक आधार प्रदान किया।" आजादी से अब तक हमलोगो ने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, राजनीति हो या सैनानी सभी क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त भूमिका रही है। इन सभी कार्यों की नींव शिक्षा ही है, अगर विवेकानंद के शब्दों में कहें तो "पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षित करो, तब वें आपको बताएंगी की उनके लिए कौन से सुधार आवश्यक है। पक्षी आकाश में एक पंख से नहीं उड़ सकते, उसी प्रकार देश का सम्यक उत्थान मात्र पुरुषों की शिक्षा से संभव नहीं है। स्त्रियों को पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर सुलभ होना चाहिए।"

आजादी का 75 महोत्सव चल रहा है और 75 साल बाद भी मैं महिला सशक्तिकरण पर लिख रही हूँ, ये भी सोचनीय विषय है। वर्तमान में महिलाओं को जो स्थिति है वह भी सोचनीय है। ऐसी स्थिति में यहीं कह सकते हैं—उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती।

“Arise, Awake & Stop not still the goal is reached”

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. जैन, पुखराज, 2002, भारतीय राजनीतिक विचारक, साहित्य पब्लिकेशन, आगरा पृ 153
2. विवेकानंद, स्वामी, शिक्षा, संस्कृति और समाज, पृ. 10
3. <http://www-writespirit-net>
4. <http://www-ppup-ac-in>
5. कुमार, भवेश, 2010, स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक चिंतन की प्रासंगिकता, भारतीय आधुनिक शिक्षा, जनवरी 2010, पृ. 48